न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

परिवाद संख्या 501 सन् 2014

कमला चरन बनाम श्रीमती माया देवी आदि।।.

दिनांक 23.03.2018

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। अभियुक्ता माया देवी मय अधिवक्ता उपस्थित तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता माया देवी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांकित14.09.2017 को प्रस्तुत किया गया है और प्रार्थना की गयी है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही अग्रिम तिथि तक स्थगित की जावे।

मेरे द्वारा सुना व अवलोकन किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, न्यायालय संख्या 48, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या 28594 सन् 2017 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 501 सन् 2014, कमला चरन बनाम श्रीमती माया देवी आदि, अन्तर्गत धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बीसलपुर, पीलीभीत के प्रकरण मे अग्रिम आदेश तक वाद की कार्यवाही अभियुक्ता माया देवी के विरूद्ध स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, तद्नुसार प्रस्तुत प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है।

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अग्रिम आदेश तक अभियुक्ता माया देवी के विरूद्ध परिवाद संख्या 501 सन् 2014, कमला चरन बनाम श्रीमती माया देवी आदि, अन्तर्गत धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता, थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित की जाती है तथा यदि अभियुक्ता माया देवी के विरूद्ध उत्पीडक आदेशिकाए जारी हो गयी हो तो उन्हे वापस मंगा लिया जाये। शेष अभियुक्त मेवा राम के विरूद्ध नियमानुसार प्रासेज जारी हो। पत्रावली नियत तिथि दिनांक 23.05.2018 को पेश होवे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बीसलपुर, पीलीभीत।
23.03.2018